

१७/०४/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त
मूल वाद Non-Complain (अपानना) में
खारिज हो चुका है, अतः आवेदन में
आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त
की जाकर आवेदन Non-Complain (अपानना)
में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सज
शुमार होकर वास्तविक दफ्तर हो।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) चौहटन

